

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2018-19 :-

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

क्षेत्र – (i) – विद्युत

Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कजर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दिए गए गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	—	—	—	—	7000.00 (2)	70.00	70.00
-------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	----------------	-------	-------

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कजर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	41176.03 (45)	34579.09 (43)	6596.94 (2)	2437.32 (1)	—	—	38738.71 (44)	476.07	476.07
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	8491.79 (13)	7066.23 (13)	1425.56 (0)	361.11	—	—	8130.68 (13)	84.73	84.73
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	674.55 (3)	666.64 (3)	7.91	43.51	—	—	631.04 (3)	6.07	6.07

क्षेत्र – (ii) – सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय –

MINISTRY OF
AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of

Agriculture and Co-operation

39000.00
(4)

19000.00
(1)

20000.00
(3)

—

—

—

39000.00
(4)

—

—

क्षेत्र – (iii) – सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER
RESOURCES

—

—

—

—

—

—

—

—

2.59

2.59

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2018-19 :—

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class — (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	102.14	102.14	—	4.98	—	—	97.16	1.17	1.17
	(1)	(1)					(1)		

क्षेत्र — (iv) — सड़क और परिवहन**Sector - (iv) - Road and Transport**

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:—

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	2308.84 (3)	1442.43 (2)	866.41 (1)	—	—	—	2308.84 (3)	17.30	17.30
----------------------	----------------	----------------	---------------	---	---	---	----------------	-------	-------

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION	49043.58 (40)	48435.23 (38)	608.35 (2)	194.87	—	—	48848.71 (40)	1546.28	3.74
----------------------------	------------------	------------------	---------------	--------	---	---	------------------	---------	------

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

	604.44 (1)	604.44 (1)	—	33.48	—	—	570.96 (1)	1.48	1.48
--	---------------	---------------	---	-------	---	---	---------------	------	------

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	69.32 (1)	68.20 (1)	1.12	8.18	—	—	61.14 (1)	0.42	0.42
--------------------------------	--------------	--------------	------	------	---	---	--------------	------	------

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम**Sector - (v) - State Financial Corporations**

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवास**Sector - (vi) - Urban Development and Housing**

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2018-19 :—

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	1098.88 (2)	816.18 (2)	282.70	90.21	—	—	1008.67 (2)	9.79	9.79
आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	370.64 (2)	353.77 (2)	16.87	74.11	—	—	296.53 (2)	2.77	2.77
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	171.89 (1)	171.89 (1)	—	27.41 (0)	—	—	144.48 (1)	1.19	1.19

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

क्षेत्र – (vii) – अन्य अवसंरचना
Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	912.03	903.19	8.84	85.05	—	—	826.98	10.03	10.03
	(6)	(6)					(6)		

क्षेत्र – (viii) – कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय—

MINISTRY OF

AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of

Agriculture and Co-operation	37.00	37.00	—	25.24	—	—	11.76	—	—
	(1)	(1)		(0)			(1)		

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2018-19 :—

मंत्रालय/विभाग का नाम Name of Ministry/ Department	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum Amount Guaranteed during the year	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding at the beginning of the year	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा) Deletion during the year (Other than invoked during the year)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि Invoked during the year		वर्ष के अंत में बकाया Outstanding at the end of the year	गारंटी कमीशन अथवा फीस Guarantee Commission or Fee	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	9495.00 (1)	9495.00 (1)	—	—	—	—	9495.00 (1)	—	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	249.00 (1)	249.00 (1)	—	249.00 (1)	—	—	—	80.33	—
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध विभाग Department of Pharmaceuticals	1132.95 (9)	1117.23 (9)	15.72	—	—	—	1132.95 (9)	84.99	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

वित्तीय सेवाएँ विभाग

Department of Financial Services	21358.35 (17)	16762.41 (16)	4595.94 (1)	4839.59 (2)	—	—	16518.76 (15)	76.49	76.34
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---	---	------------------	-------	-------

राजस्व विभाग

Department of Revenue	800.00 (1)	800.00 (1)	—	799.99	—	—	0.01 (1)	1.85	1.85
-----------------------	---------------	---------------	---	--------	---	---	-------------	------	------

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कजों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION

21000.00 (3)	13000.00 (2)	8000.00 (1)	—	—	—	21000.00 (3)	—	—
-----------------	-----------------	----------------	---	---	---	-----------------	---	---

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

AND INFORMATION TECHNOLOGY

दूरसंचार विभाग

Department of Telecommunications	7513.97 (4)	7513.97 (4)	—	—	—	—	7513.97 (4)	29.80	—
-------------------------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	----------------	-------	---

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)—जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2018-19 :-

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6 उन्मोचित Discharged	7 अननुमोचित Not Discharged	8	9	10
								(करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)	

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class—(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc :-

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	399.19 (2)	399.19 (2)	—	39.60	—	—	359.59 (2)	0.99	1.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,	57.31 (3)	56.91 (3)	0.40 (0)	4.63 (0)	—	—	52.68 (3)	0.23	0.23

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	166070.69 (186)	139763.78 (159)	26306.91 (27)	1077.25 (0)	—	—	164993.44 (186)	120.85	117.64
वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	14051.25 (11)	12483.17 (10)	1568.08 (1)	521.03 (0)	—	—	13530.22 (11)	33.22	33.22
वाणिज्य विभाग Department of Commerce	1054.00 (1)	—	1054.00 (1)	—	—	—	1054.00 (1)	0.49	11.03
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	64300.08 (7)	57928.00 (7)	6372.08	—	—	—	64300.08 (7)	—	—